निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 83 / 2019

तारीख दायरा 11.10.2019

उनवान

1. बालचन्द पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
3. नन्दलाल पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
4. परमानन्द पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
5. रवि पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
6. बंटी पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
7. विपिन पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
8. देवन्ती बाई बेवा चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

–:: बनाम ::–

1. नारायणी बाई पुत्री टुण्डा जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
2. फुलवन्ती बाई पुत्री टुण्डा जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
3. रामसिंह पुत्र बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. मोनू पुत्र बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. निर्मला बाई पुत्री बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. शारदा बाई पुत्री बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. चौथमल पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
9. हीरालाल पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. लीला पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
11. ज्याना पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
12. गंगाबाई पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

13. शांतिबाई पत्नि स्व0 भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
14. सुरेश पुत्र हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
15. बनवारीलाल पुत्र हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
16. बीना कुमारी पुत्री हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
17. सीमा कुमारी पुत्री हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
18. धापू बाई पत्नि स्व0 हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
19. मनोज पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
20. गौरव पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
21. नीलू पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
22. ममता बाई पत्नि सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
23. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट</u>

उपस्थित :—

श्री राजेन्द्र प्रसाद नागर (वकील वादी) दिनॉक :— 24.12.2020

श्री मुबारिक अली अंसारी (वकील प्रतिवादी)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नं0 193 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 2.54 हैक्टर, खसरा नं0 256 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नं0 257 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं0 735 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 739 रकाब 0.27 हैक्टर कुल किता 6 की रकबा 6.88 हैक्टर भूमि स्थित है।

उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज छोटूलाल के खाते की भूमि थी, श्री छोटूलाल की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्र टुण्डा व भागीरथ खातेदार बने। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का शजरा वाद पत्र में संलग्न है। उक्त वादग्रस्त भूमि छोटूलाल जी की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र टुण्डा व भागीरथ के नाम समभाग से दर्ज की गई अर्थात टुण्डा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

भागीरथ जी का 1/2, 1/2 हिस्सा निहित था। परन्तु भागीरथ जी की मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि त्रुटि पूर्ण तरीके से टुण्डा व भागीरथ जी के समस्त वारिसान हेमचन्द, चौथमल, सीताराम, जगदीश, हीरालाल पुत्रान भागीरथ, लीला पुत्री, शांति बाई बेवा भागीरथ के नाम राजस्व रिकार्ड में समभाग से दर्ज कर दी गई। जब कि उक्त वादग्रस्त भूमि में टुण्डा का 1/2 हिस्सा निहित था एवं भागीरथ के समस्त वारिसान का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित था। भागीरथ की दो अन्य पुत्रियां ज्याना व गंगाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार भागीरथ के कुल 9 वारिसान होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि में 1/9– 1/9 हिस्सा अर्थात 1/18–1/18 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिये था। भागीरथ की बेवा शान्तीबाई का भी निधन हो चुका है। अतः शेष 8 वारिसान के भागीरथ के 1/2 हिस्से की भूमि में 1/8–1/8 यानि 1/16–1/16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिये था। वर्तमान में हेमचन्द व सीताराम का भी निधन हो चुका है। हेमचन्द के वारिसान सुरेश, बनवारीलाल, बीना कुमारी, सीमा कुमारी पुत्र एवं पुत्रियां हेमचन्द व धापू बाई बेवा हेमचन्द का उनके 1/16 हिस्से की भूमि में प्रत्येक के 1/5 1/5 अर्थात 1/80–1/80 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार सीताराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान मनोज गौरव पुत्र तथा नीलू पुत्री व उनकी बेवा के नाम उनके 1/16 हिस्से की भूमि में 1/4–1/4 अर्थात 1/64–1/64 हिस्सा दर्ज रिकार्ड किया जाना चाहिये था परन्तु अभी तक भी सीताराम का नाम ही दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है।

इसी प्रकार टुण्डा जी की मृत्यु के पश्चात बालचन्द, राजू उर्फ राजेन्द्र, चुन्नीलाल, नन्दलाल, परमानन्द, पुत्रान व नारायणीबाई, बसन्तीबाई, फूलवन्ती बाई पुत्रियां तथा नाथी बाई पत्नि टुण्डा, टुण्डा जी के 1/2 हिस्से की भूमि के समभाग से अर्थात उनका 1/9–1/9 हिस्सा निहित हुआ अर्थात 1/18–1/18 हिस्सा निहित है। टुण्डा जी की बेवा नाथीबाई का भी निधन हो चुका है, इस प्रकार टुण्डा जी के समस्त वारिसान का उनके 1/2 हिस्से की भूमि में 1/8–1/8 अर्थात कुल भूमि में 1/16–1/16 हिस्सा निहित हुआ। चुन्नी[illegible] का भी निधन हो चुका है, अतः उनके वारिसान रवि, बंटी, विपिन, पुत्रान [illegible] चुन्नीलाल जी के 1/16 हिस्से की भूमि में 1/4–1/4 अर्थात 1/64–1/64 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार बसन्ती बाई का भी निधन हो चुका है उनके वारिस रामसिहं, मोनू पुत्र व निर्मला बाई, शारदा बाई पुत्रियां को उनके हिस्से की 1/16 आराजी में से 1/4–1/4 अर्थात 1/64–1/64 हिस्सा निहित है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण कम 1 लगायत 4 का वादग्रस्त भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा निहित है एवं वादीगण कम 5 लगायत 8 का वादग्रस्त भूमि में 1/64–1/64 हिस्सा निहित है तथा इसी हिस्से के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

भागीरथ जी की मृत्यु के पश्चात खोले गये फौती इन्तकाल में त्रुटि पूर्ण इन्द्राज कर दिये जाने के कारण उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज बदस्तूर जारी रहा जो वर्तमान में भी बदस्तूर जारी है। उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि के छोटूलाल जी के समस्त जायन्दा वारिसान के नाम मद नम्बर 3 व 4 में वर्णित हिस्से के अनुसार समस्त जायन्दा वारिसान को खातेदार घोषित किया जाना व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में चौथमल हिस्सा 1/8, जगदीश हिस्सा 1/8, देवन्ती बाई हिस्सा 1/288, धापू बाई हिस्सा 1/40, नन्दलाल हिस्सा 1/72, नाथीबाई 1/72 हिस्सा, नारायणी बाई हिस्सा 1/72, निर्मला बाई हिस्सा 1/288, परमानन्द हिस्सा 1/72, फूलवन्ती बाई हिस्सा 1/72, बन्टी हिस्सा 1/288, बनवारी हिस्सा 1/72, बालचन्द हिस्सा 1/72, बीना कुमारी हिस्सा 1/40, मोनू हिस्सा, 1/288, रवि हिस्सा 1/288, राजेन्द्र हिस्सा 1/72, शांतिबाई हिस्सा 1/8, शारदा बाई हिस्सा 1/288, सुरेश कुमार हिस्सा 1/40, सीताराम हिस्सा 1/8, सीमा कुमारी हिस्सा 1/40, हीरालाल हिस्सा 1/8 त्रुटि पूर्ण तरीके से दर्ज रिकार्ड है जब कि नाथी बाई व सीताराम की भी मृत्यु हो चुकी है। उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर वाद पत्र की मद नम्बर 3 व 4 में वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार अंकन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण वादीगण को उक्त भूमि पर कृषि करने, उक्त कृषि हेतु ऋण लेने व जमीन को उन्नत बनाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि का बटवारा करवाना चाहते हैं ताकि आसानी से ऋण प्राप्त कर सके व कृषि को उन्नत कर सकें। इस हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार कहा परन्तु उनके द्वारा बटवारा करने से साफ इंकार कर दिया गया इस कारण वादीगण के लिये यह वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। अतः वादग्रस्त भूमि का मीटस एण्ड बाउण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

के अनुसार अर्थात अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर एवं मौके पर कब्जे के अनुसार बटवारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

वादीगण की उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज की पूर्व में कभी जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि वादीगण स्व0 टुण्डा जी के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की भूमि पर शांति पूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण को सर्वप्रथम दिनांक 22.08.2019 को पटवारी हलका द्वारा बताने पर उक्त त्रुटि पूर्ण इन्द्राज की जानकारी हुई।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे :–

वादीगण कम 1 लगायत 4 को वादग्रस्त भूमि में 1/18–1/18 हिस्से का एवं वादीगण क्रम 5 लगायत 8 को 1/64–1/64 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वाद पत्र की मद नम्बर 3 व 4 में वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उनके हिस्से की भूमि के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारा मीटस एण्ड बाउन्डस के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर करके वादीगण का खाता पृथक–पृथक किया जावे तथा सभी का खाता पृथक–पृथक कर मौके पर कब्जा दिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार अंकन किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 3 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 1,2 एवं 7 ता 22 की ओर से वकील अधिवक्ता श्री मुबारिक अली अंसारी द्वारा जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया। वादीगण की पहचान वकील वादी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी ने की। पक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा पढ़कर सुनाया गया एवं तस्दीक किया गया। राजीनामे में वर्णित शर्ते निम्नानुसार हैं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

–:: राजीनामा ::–

वादग्रस्त आराजी माल ग्राम हिंगी तहसील सांगोद में खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर, 194 की 2.54 हैक्टर, खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर, खसरा नं0 257 की 1.52 हैक्टर, खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी

735 की 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 739 की 0.27 हैक्टर, कुल किता 6 की कुल 6.88 हैक्टर आराजी स्थित है।

वादीगण व प्रतिवादीगण को समाज के व्यक्तियों व रिश्तेदारो द्वारा आपस में समझा दिया है। जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त वर्णित खाते की आराजीयात का निम्न प्रकार राजीनामा हो गया है। और राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर शान्ति पूर्वक आपसी सहमति से हुये राजीनामा में प्राप्त हिस्से की आराजी पर बहैसियत काश्तकार काबिज करते चले आ रहे है।

राजीनामा निम्न प्रकार है :–

<u>वादीगण व प्रतिवादी गण 1 ता 6 के हिस्से में आई आराजी–</u> खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर आराजी मे से 1.55 हैक्टर आराजी दक्षिणी तरफ व खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 735 की 0.23 हैक्टर सम्पूर्ण।

<u>प्रतिवादीगण कम 7 ता 12 व 14 ता 22 के हिस्से में आई आराजी–</u> खसरा नं0 257 की 1.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 739 की 0.26 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर में से 1.55 हैक्टर उत्तरी तरफ की भूमि।

उक्त राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी को मौके पर काबिज काश्त कर रहे है, और उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में आराजीका विभाजन करवाकर बंटवारा करवाना चाहते है, तथा राज लगान भी पृथक पृथक करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने के आदेश पारित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:31:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो इकबाली जवाब, राजीनामा, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम हिंगी तहसील सांगोद में स्थित खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर, 194 की 2.54 हैक्टर, खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर, खसरा नं0 257 की 1.52 हैक्टर, खसरा नं0 735 की 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 739 की 0.27 हैक्टर, कुल किता 6 की कुल 6.88 हैक्टर आराजी में पारिवारिक राजीनामे के अनुरूप पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

वादीगण व प्रतिवादी गण 1 ता 6 के हिस्से में आई आराजी– खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर आराजी मे से 1.55 हैक्टर आराजी दक्षिणी तरफ व खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 735 की 0.23 हैक्टर सम्पूर्ण।

प्रतिवादीगण कम 7 ता 12 व 14 ता 22 के हिस्से में आई आराजी– खसरा नं0 257 की 1.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 739 की 0.26 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर में से 1.55 हैक्टर उत्तरी तरफ की भूमि।

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी
निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 83/2019

तारीख दायरा 11.10.2019

उनवान

1. बालचन्द पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
3. नन्दलाल पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
4. परमानन्द पुत्र टुण्डा जी, जाति जाटव निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
5. रवि पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
6. बंटी पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
7. विपिन पुत्र चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद ।
8. देवन्ती बाई बेवा चुन्नीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादी

–:: बनाम ::–

1. नारायणी बाई पुत्री टुण्डा जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
2. फुलवन्ती बाई पुत्री टुण्डा जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
3. रामसिंह पुत्र बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. मोनू पुत्र बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
5. निर्मला बाई पुत्री बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. शारदा बाई पुत्री बृजमोहन जी जाति जाटव, निवासीगण ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. चौथमल पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
8. जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

9. हीरालाल पुत्र भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. लीला पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
11. ज्याना पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
12. गंगाबाई पुत्री भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
13. शांतिबाई पत्नि स्व0 भागीरथ जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
14. सुरेश पुत्र हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
15. बनवारीलाल पुत्र हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
16. बीना कुमारी पुत्री हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
17. सीमा कुमारी पुत्री हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
18. धापू बाई पत्नि स्व0 हेमचन्द जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी, तहसील सांगोद जिला कोटा।
19. मनोज पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
20. गौरव पुत्र सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
21. नीलू पुत्री सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद।
22. ममता बाई पत्नि सीताराम जाति जाटव निवासी ग्राम हिंगी तहसील सांगोद जिला कोटा।
23. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :—

श्री राजेन्द्र प्रसाद नागर (वकील वादी)
श्री मुबारिक अली अंसारी (वकील प्रतिवादी)

दिनॉक :— 24.12.2020

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद नागर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि—

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम हिंगी तहसील सांगोद में स्थित खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर, 194 की 2.54 हैक्टर, खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर, खसरा नं0 257 की 1.52 हैक्टर, खसरा नं0 735 की 0.23

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

हैक्टर, खसरा नं0 739 की 0.27 हैक्टर, कुल किता 6 की कुल 6.88 हैक्टर आराजी में पारिवारिक राजीनामे के अनुरूप पक्षकारान को निम्नानुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

वादीगण व प्रतिवादी गण 1 ता 6 के हिस्से में आई आराजी– खसरा नं0 193 की 0.55 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर आराजी मे से 1.55 हैक्टर आराजी दक्षिणी तरफ व खसरा नं0 256 की 1.72 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 735 की 0.23 हैक्टर सम्पूर्ण।

प्रतिवादीगण कम 7 ता 12 व 14 ता 22 के हिस्से में आई आराजी– खसरा नं0 257 की 1.56 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 739 की 0.26 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नं0 194 की 2.55 हैक्टर में से 1.55 हैक्टर उत्तरी तरफ की भूमि।

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:51:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद